संख्या-9/2024/आई/834662/984/चौरासी-1-2024-84-1002(002)/1/2024

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व लेखाशीर्षक "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की मानक मद "01-वेतन" की बचतों से समान लेखाशीर्षक की अन्य आवश्यक मद में पुनर्विनियोग द्वारा आवंटन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-286/निविमावि-लेखा-7(25)मांग/2024-25, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की 01-वेतन मद में हो रही बचतों से समान लेखाशीर्षक की मानक मद "13-टेलीफोन पर व्यय" मद के लिए भुगतान हेतु संलग्न बी0एम0-9 के विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय रू0-3.38 लाख(रूपये तीन लाख अड़तीस हजार मात्र) मात्र को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) विभाग द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आर0 ई0 संख्या-बजट-1-199/दस-2024-25, दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:-9/2024/आई/834662(1)/984/चौरासी-1-2024-84-1002(002)/1/2024,तद्दिनांक,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7,वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2,वित्त(लेखा) अनुभाग-।
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक- 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान(उपभोक्ता मामले विभाग) वित्तीय वर्ष 2024-25

प्रपत्र-बी0एम0-9 **(धनराशि लाख रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
3475-00-106-00-03--01-वेतन	4383.00	2271.30	3.38	3.38	4379.62
योग	4383.00	2271.30	3.38	3.38	4379.62
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान /विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3475-00-106-00-03-13	8.00	11.38	3.38	3.38	11.38
योग	8.00	11.38	3.38	3.38	11.38

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण नियमानुसार है:- पदों के रिक्त होने का कारण।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि (माह अक्टूबर,2024 से मार्च,2025 तक) विधिक माप विज्ञान विभाग के विभिन्न पोर्टल यथा एन0सी0एच0, आई0जी0आर0एस0, मानव संपदा, ई-ऑफिस तथा विभागीय वेबसाइट/पोर्टल विभागीय ऑनलाइन सेवाओं, जिसमें व्यापारिक परिसर में मौके पर ही सत्यापन कार्य सम्पादन एवं सत्यापन प्रमाण-पत्र निर्गमन की कार्यवाही गतिशील एवं सुगम बनाये जाने के दृष्टिगत 180 सिम कनेक्शनों के संचालन एवं नियंत्रक कार्यालय के टेलीफोन एवं इण्टरनेट के सुचारू संचालन संबंधी बिलों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि(माह अक्टूबर,2024 से मार्च,2025 तक) में रू0-3.38लाख(रूपये तीन लाख अड़तीस हजार मात्र) की अतिरिक्त धरराशि की मांग है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या-बजट-1-199/दस-2024-25	**दिनांक- 23 दिसम्बर, 2024**
(अरविन्द सिंह) **अनु सचिव** **उपभोक्ता मामले विभाग**	**सेवा में,** **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।** **हस्ताक्षर** **(मंजीत सिंह)** **अनु सचिव** **वित्त विभाग।**

संख्या: 9/2024/आई/834662(1)/चौरासी-1-2024-84-1002(002)/1/2024-,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 प्रयागराज।

2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)

2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी लखनऊ।

3- निदेशकं,वित्तीय संख्यिकीय निदेशालय,जवाहर भवन लखनऊ।

4- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन (तीन प्रतियों में)

5- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0शासन।

6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव
उपभोक्ता मामले विभाग ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।